

प्रति

सिविल लाइन आवा प्रमारी

रायपुर (म.प्र.)

विषय - शुद्ध पत्रकार को ज्ञान से मारने और आत्महत्या करने की धमकी देने का मत।

प्रहोदना

निवेदन है कि मैं शांतनु रॉय पिता - स्व. असीम रॉय निवासी कोटा कॉलोनी आमानाका रायपुर (म.प्र.) आवा - सरस्वती नगर तम 28 वर्ष हैं। मेरे द्वारा आवा प्रमारी प्रकाश के एक कार वर्कशॉप में बड़ी मात्रा में पोलिश के बोर्डो पार्ट्स बिना आरटीओ परमिट के माफियों का मोडिफाई किया जा रहा है जिसका रिटिंग वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। जिसके बाद मैंने इस मामले की मौखिक शिकायत सीएसपी सिविल लाइन से की गई जिसके बाद सीएसपी सिविल लाइन अनुराग झा द्वारा प्रमारी पुलिस स्टॉफ पीएस फोर वील्स को पास भेजा और पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। जिसके बाद बीती रात 7 अगस्त 10 बजे पीएस फोर वील्स को संचालक गणेश कुमार आदव ने मुझे अपने 7828880878 से कॉल करके मुझे घास 302 - 307 की घटना को अज्ञात देने की धमकी की और इस मामले में जांच नहीं रुकी तो शनिवार तक स्वयं ही खुदकुशी कर लेने की भी बात कही है। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है।

अतः आपसे निवेदन है कि मामले में त्वरित जांच की जाए और इस आवेदन को जमा करने के पश्चात अगर गणेश कुमार आदव ने कोई आत्मघाती कदम उठाया तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा।

धन्यवाद

दिनांक


प्राप्ति

8/8/24

शांतनु रॉय

9343537313

Recd.
श्री रायपुर
जिला प्रमारी



प्रति,

पंडरी थाना प्रमारी

रायपुर (छ. ग.)

विषय— युवा पत्रकार को जान से मारने और आत्महत्या करने की धमकी देने बाबत।

महोदया,

निवेदन है कि मैं शांतनु रॉय निवासी कोटा कॉलोनी आमनाका रायपुर (छग) थाना — सरस्वती नगर उम्र 25 वर्ष है। मेरे द्वारा थाना पंडरी इलाके के एक कार वर्कशॉप में बड़ी मात्रा में गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स बिना आरटीओ परमिट के गाड़ियों का मोडिफाई किया जा रहा है जिसका स्टिंग वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। जिसके बाद मैंने इस मामले की मौखिक शिकायत सीएसपी सिविल लाइन से की गई जिसके बाद सीएसपी सिविल लाइन अनुराग झा द्वारा पंडरी पुलिस स्टाफ पीएस फोर व्हील्स के पास भेजा और पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। जिसके बाद बीती रात 7 अगस्त 10 बजे पीएस फोर व्हील्स के संचालक गणेश कुमार यादव ने मुझे अपने 7828680878 से कॉल करके मुझे धारा 302 — 307 की घटना को अंजाम देने की धमकी की और इस मामले में जांच नहीं रुकी तो शनिवार तक स्वयं ही खुदकुशी कर लेने की भी बात कही है। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है।

अतः आपसे निवेदन है कि मामले में त्वरित जांच की जाए और इस आवेदन को जमा करने के पश्चात अगर गणेश कुमार यादव ने कोई आत्मघाती कदम उठाया तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा।

केवल सूचनाार्थ
मूल प्रति थाना सिविल लाइन
दिनांक

धन्यवाद

प्रार्थी

8/8/2024



शांतनु रॉय

9343537313

पिता - स्व. असीम रॉय